

भामाशाह योजना: आधुनिक व प्रगतिशील राजस्थान का आधार

ई-मित्र केन्द्र से बैंकिंग सेवाएं: माईको एटीएम मशीन स्वाईप करेंगे ग्रामीण लाभार्थी

अजमेर, 17 सितम्बर । मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण व वित्तीय समावेशन से ओतप्रोत भामाशाह योजना के माध्यम से आधुनिक व प्रगतिशील राजस्थान की संकल्पना को साकार किया जा रहा है। जिस प्रकार शहरों के शॉपिंग मॉल, लग्जरी होटल व रेस्तरां में लोग बिल का भुगतान डेबिट व क्रेडिट कार्ड स्वाईप कर करते हैं ठीक उसी प्रकार किसी भी गांव में भामाशाह कार्डधारक ग्रामवासी को ई-मित्र केन्द्र पर रू-पे कार्ड स्वाईप कर नकद निकासी या बिजली, पानी जैसी आवश्यक सेवाओं के बिल का भुगतान करते देखे तो हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भामाशाह योजना ने वित्तीय समावेशन व कोर बैंकिंग सेवा के माध्यम से आमजन को आधुनिक व प्रगतिशील बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

अजमेर जिले में भामाशाह योजना के तहत अभूतपूर्व कार्य हुआ है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं का नकद लाभ पात्र व्यक्ति को उसके बैंक खाते के माध्यम से दिया जा रहा है साथ ही गैर नकद लाभ के तहत राशन का वितरण पीओएस मशीन के द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है।

जिला कलक्टर व जिला भामाशाह प्रबंधक डॉ. आरूषी मलिक ने बताया कि भामाशाह योजना के तहत पेंशन, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों को मजदूरी, छात्रवृत्ति जैसे सभी नकद लाभ का वितरण पात्र व्यक्ति को उसके बैंक खाते के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केश, मनीऑर्डर, चेक आदि की तुलना में नकद लाभ बैंक खाते में स्थानान्तरित करना ज्यादा तेज, सुगम व सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि सरकारी योजना का लाभ बैंक खाते में जमा होने पर लाभार्थी को उसके मोबाइल पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना मिलेगी, जिसके बाद लाभार्थी नजदीक के ई-मित्र केन्द्र जाकर जितनी आवश्यक हो उतनी राशि निकलवा सकेगा।

ई-मित्र केन्द्र से मिलेगी कोर बैंकिंग सेवाएं

जिला कलक्टर व जिला भामाशाह प्रबंधक डॉ. आरूषी मलिक ने बताया कि भामाशाह योजना के तहत आमजन को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कोर बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिससे सरकारी योजनाओं के लाभार्थी को घर के समीप ही बैंक खाते में जमा लाभ की राशि का भुगतान किया जा सके।

उन्होंने बताया कि अजमेर जिले की सभी 9 पंचायत समितियों की विभिन्न ग्राम पंचायत में 1163 ई-मित्र केन्द्र में से 601 पर माईक्रो एटीएम मशीन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इन ई-मित्र केन्द्रों पर मौजूद बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट(बी.सी.) सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भामाशाह योजना के तहत खोले गए खातों से लिंक किए गए रू-पे कार्ड के माध्यम से लाभ की नकद राशि एवं रसीद देकर सेवाएं प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि लाभार्थी को पेंशन, महानरेगा मजदूरी के भुगतान का एस.एम.एस भी उसके मोबाइल पर प्राप्त हो जाता है।

क्या है वित्तीय समावेशन

भामाशाह योजना के तहत वित्तीय समावेशन का अर्थ है राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का कोर बैंक खाता खोलना और उसे बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। परिवार का कोर बैंक खाता परिवार की महिला मुखिया के नाम से होता है, परिवार को मिलने वाले सभी सरकारी लाभ सीधे इसी खाते में जमा कर दिए जाते हैं। भामाशाह नामांकन के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक खाते भी दर्ज कर लिए जाते हैं ताकि उनको मिलने वाले व्यक्तिगत लाभ भी उनके बैंक खाते में जमा कराया जा सके।